



सत्यमेव जयते

सो०सं० ४० (२१)/निबन्धन/टिहरी/१८-११/कि०सू०सा०/

22374

दिनांक 3-12-१८

भारत सरकार

(वित्त-मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त
भैसाली ग्राउण्ड, मेरठ।

विषय :- आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-क के निबन्धन हेतु

न्यास/संस्था का नाम एवं पता भाउर वैली, जिला-टिहरी, मेरठ, मेरठ, जिला-टिहरी, मेरठ, जिला-टिहरी, मेरठ

दिनांक 11-6-१९ को न्यास/संस्था आपन द्वारा गठित उपयुक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-क के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समय के भीतर/ 2 महिने और 6 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया है। चूंकि न्यास/संस्था ने विलम्ब से पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण नहीं दिया है इस लिए विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। परन्तु धारा १२-क (ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत निबन्धन दिनांक 1-4-१८ से स्वाकृत किया जाता है।

आवेदन की प्रतिलिपि कार्यालय में रखे गये धारा १२-क के आवेदन रजिस्टर में क्रम संख्या 70/टिहरी/१८-११ पर की गई है।

सील

(अयुक्त आयुक्त)
(अयुक्त आयुक्त)
आयकर आयुक्त
मेरठ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

- न्यास/संस्था को कृपया यह बतायें कि न्यास/संस्था आयकरदाता की सूची में है? यदि ऐसा है तो कृपया पूर्ण विवरण के साथ स्थाई लेखा संख्या भी बतायें।
- आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त, वार्ड/सकिल को संबंधित कार्रवाई के लिए न्यास/संस्था से प्राप्त लेखा विवरण, संगठन के विवेक/स्मृति-पत्र की एक प्रति आदि संलग्न की जा रही है।
- आयकर आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(अयुक्त आयुक्त)
आयकर अधिकारी (केन्द्रीय सूचना शाखा)
हुने-आयकर आयुक्त, मेरठ।